

## विधि विभाग

## अधिसूचना

शिमला-2, 31 जनवरी, 2025

संख्या: एल.एल.आर.-डी.(6)-30/2024-लेज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 41) को दिनांक 28-01-2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 14 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई-गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

शरद कुमार लगवाल,  
प्रधान सचिव (विधि)।

## हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2024

## धाराओं का क्रम

धारा:

1. संक्षिप्त नाम।
2. धारा 89 का संशोधन।

2025 का अधिनियम संख्यांक 14.

## हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2024

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 28 जनवरी, 2025 को यथा अनुमोदित)

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 4) का और संशोधन करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त नाम.—इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।

2. धारा 89 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 89 की उपधारा (2) में, दूसरे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यह भी कि राज्य सरकार, भौगोलिक अवस्थान, परिवहन और संचार के साधनों की कमी तथा प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखते हुए, पच्चीस हजार से कम जनसंख्या वाली पिछड़ी ग्राम पंचायतों के लिए प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी।”।

*AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT*

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2024**

ARRANGEMENT OF SECTIONS

*Sections:*

1. Short title.
2. Amendment of section 89.

**Act No. 14 of 2025.**

**THE HIMACHAL PRADESH PANCHAYATI RAJ (AMENDMENT) ACT, 2024**

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 28TH JANUARY, 2025)

AN

ACT

*further to amend the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994 (Act No. 4 of 1994).*

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-fifth Year of the Republic of India as follows:-

**1. Short title.**—This Act may be called the Himachal Pradesh Panchayati Raj (Amendment) Act, 2024.

**2. Amendment of Section 89.**—In section 89 of the Himachal Pradesh Panchayati Raj Act, 1994, in sub-section (2) after the second proviso, the following shall be added, namely:—

“Provided also that the State Government may, after having due regard to the geographical location, lack of means of transportation and communication, and for administrative convenience, notify a territorial constituency for the Backward Gram Panchayats, having a population less than twenty-five thousand.”.